रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17022021-225230
CG-DL-E-17022021-225230

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 678] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 17, 2021/माघ 28, 1942
No. 678] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 2021/MAGHA 28, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 741(अ).—केन्द्रीय सरकार, प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961(1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पहचानविहीन निर्धारण स्कीम, 2019 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**-(1) इस स्कीम का संक्षिप्त नाम पहचानविहीन निर्धारण (पहला संशोधन) स्कीम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगी।

2. पहचानविहीन निर्धारण स्कीम, 2019 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त स्कीम कहा गया है) के पैरा 2 के उप-पैरा (1) में,--

(i) खंड (x) में "ई-मेल खाता" शब्दों के स्थान पर "रजिस्ट्रीकृत ई-मेल खाता" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) खंड (xii) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(xiiक) "विवाद समाधान पैनल" का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (क) में है;

(iii) खंड (xv) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:--

'(xvक) पात्र निर्धारिती का वही अर्थ होगा जो उसका अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (15) के खंड (ख) में है;'

(iv) खंड (xxiv) में "दृश्य टेलीफोनी" शब्दों के स्थान पर "वीडियो कान्फ्रेंसिंग या वीडियो टेलीफोनी" शब्द रखे जाएंगे।

(2) उक्त स्कीम के पैरा 5 के उपपैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-पैरा रखा जाएगा, अर्थात्:--

"(1) इस स्कीम में अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात्:--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन निर्धारिती पर सूचना की तामील करेगा;

(ii) निर्धारिती, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को, खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना के प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा;

(iii) जहां निर्धारिती ने,--

(क) अधिनियम की धारा 139 के अधीन या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी है और अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना, यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा जारी की गई है, या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना के प्रत्युत्तर में अपनी आय की विवरणी दी नहीं है; या

(ग) अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन अपनी आय की विवरणी फाईल नहीं की है और निर्धारण अधिकारी जारी की अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना गई है,

वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारणई-निर्धारण केन्द्र निर्धारिती को यह संसूचित करेगा कि इस स्कीम के अधीन उसके मामले का निर्धारण पूरा किया जाएगा।

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त मामलों को, स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में की किसी विनिर्दिष्ट निर्धारण इकाई को सौंपेगा;

(v) जहां कोई मामला निर्धारण इकाई को सौंपा जाता है वहां वह राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से निम्नलिखित के लिए अनुरोध कर सकेगा—

(क) निर्धारिती या किसी अन्य ऐसे व्यक्ति से, जिसे वह विनिर्दिष्ट करे ऐसी और जानकारी, दस्तावेजों या साक्ष्य अभिप्राप्त करने की;

(ख) सत्यापन इकाई द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करने की; और

(ग) तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा करने की;

(vi) जहां निर्धारण ईकाई द्वारा, निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभप्राप्त करने का अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र ऐसे निर्धारिती या व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा, उसमें ऐसी जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए समय विनिर्दिष्ट करते हुए जारी करेगा;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर, उसमें विनिर्दिष्ट समय या ऐसे विस्तारित समय के भीतर जो इस बाबत आवेदन के आधार पर अनुज्ञात किया गया है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को फाइल करेगा;

(viii) जहां निर्धारण इकाई द्वारा सत्यापन इकाई से कतिपय जांच या सत्यापन करने का अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में की सत्यापन ईकाई को सौंपा जएगा।

(ix) जहां निर्धारण इकाई द्वारा तकनीकी इकाई से तकनीकी सहायता की ईप्सा के लिए अनुरोध किया गया है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा ऐसे अनुरोध को एक स्वाचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केन्द्र में किसी तकनीक इकाई को सौंपा जाएगा

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र खंड (viii) या खंड(x) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित सत्यापन इकाई या तकनीकी इकाई से प्राप्त रिपोर्ट सम्बद्ध निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(xi) जहां निर्धारिती खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना का या उपधारा (2क) के अधीन जारी निदेशों का पालन करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, ऐसे निर्धारिती पर, अधिनियम की धारा 144 के अधीन एक सूचना की तामील, उसमें विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर इस विषय पर कि उसके सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार उसका निर्धारण पूरा क्यों नहीं किया गया, कारण बताने का अवसर प्रदान करते हुए, करेगा।

(xii) निर्धारिती, खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या ऐसे समय के भीतर जो इस निमित्त किए गए आवेदन के आधार पर विस्तारित किया जाए, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर फाईल करेगा।

(xiii) जहां निर्धारिती, उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र निर्धारण इकाई को ऐसी असफलता के बारे में सूचित करेगा।

(xiv) निर्धारण इकाई, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात् निर्धारिती द्वारा, उसकी विवरणी के अनुसार संदेय आय या धनराशि को स्वीकार करते हुए या उसे प्रतिदेय धनराशि को स्वीकार करते हुए या उसे प्रतिदेय धनराशि को स्वीकार करते हुए अथवा ऐसी आय या धन राशि में फेरफार करते हुए लिखित रूप में एक प्रारूप निर्धारण आदेश या उस दशा में जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र से प्राप्त होती है, वहां लिखित रूप में अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार एक प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xv) निर्धारण इकाई प्ररूप निर्धारण आदेश करते समय उसमें आरंभ की जाने वाली शस्तिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे देगी;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंध रणनीति के अनुसार जिसके अंतर्गत स्वाचालित परीवक्षा साधन द्वारा जांच भी है, प्ररूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा;

तदुपरांत वह,--

(क) निर्धारण को अंतिम रूप से उस दशा में विनिश्चित कर सकेगा जहां प्ररूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारिती के हित के प्रतिकुल किसी फेरफार का प्रास्ताव नहीं किया गया है और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हों आशय करने के लिए आदेश और सूचना की एक प्रति को निर्धारिती पर ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धन राशि या उसको शोध्य प्रतिदाय की रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए तामिल करेगा; या

(ख) निर्धारिती को अवसर देने का विनिश्चय कर सकेगा यदि निर्धारिती से इस बारे में हेतुक दर्शित करने की अपेक्षा करते हुए कि ऐसा, फेरफार क्यों नहीं किया जाना चाहिए, सूचना की तामिल करके उसके हित के प्रतिकुल कोई फेरफार करने का प्रस्ताव किया गया है, या

(ग) किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारिण केन्द्र में की पुनर्विलोकन इकाई को स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए प्ररूप निर्धारण आदेश को सौंपे जाने का विनिश्चय कर सकेगा,

(xvii) पनुर्विलोकन इकाई, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र द्वारा निर्दिष्ट प्ररूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी तदुपरांत वह,--

(क) प्ररूप निर्धारण आदेश के संबंध में सहमति देने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय निर्धारण केन्द्र को संसूचित करने का विनिश्चय कर सकेगी; या

(ख) प्ररूप निर्धारण आदेशों में ऐसे फेरफार करने के बारे में सुझाव देने का विनिश्चय कर सकेगी जो वह ठीक समझे और अपने सुझाव राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगी;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र पुनर्विलोकन इकाई से ऐसी सहमति प्राप्त करने के पश्चात् खंड (xvi) के यथास्थिति, उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगी;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनर्विलोकन इकाई से फेरफार करने संबंधी सुझाव प्राप्त होने पर स्वाचालित आबंटन प्रणाली के मध्यम से, उस निर्धारण इकाई, से भिन्न जिनमें प्ररूप निर्धारण आदेश तैयार किया है, किसी निर्धारण इकाई को मामले सौंपेगी;

(xx) निर्धारण इकाई, पुनर्विलोकन इकाई द्वारा सुझाए गए फेरफारों पर विचार करने के पश्चात् राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश भेजेगी;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश प्राप्त करने के पश्चात् खंड (xvi) के, यथास्थिति उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा;

(xxii) निर्धारिती उस दशा में, जहां कारण बताओ सूचना की उस पर तारीख खंड (xvi) के उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार की गई है, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख को या उसके पहले अथवा ऐसे समय के भीतर, जो निमित्त आवेदन के आधार पर विस्तारित किया गया है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को अपना प्रत्युत्तर देगा;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--

(क) जहां खंड (xxii) के अनुसार कारण बताओ सूचना को प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं हुआ है,

(अ) उस दशा में, जहां प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और उसमें कोई ऐसा फेरफार करने का प्रस्ताव है जो ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है, प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा; या

(आ) किसी अन्य दशा में, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की तामील, निर्धारिती पर शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करने के लिए, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ करेगा;

(ख) किसी अन्य दशा में निर्धारिती द्वारा दिया गया प्रत्युत्तर निर्धारण इकाई को भेजेगा;

(xxiv) निर्धारण इकाई खंड (xxiii) के उपखंड (ख) में यथानिर्दिष्ट निर्धारिती, द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात् एक पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश करेगा और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश के प्राप्त होने पर—

(क) यदि पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार, प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिति के हित के प्रतिकूल नहीं हैं, और—

(अ) उस दशा में जहां पुनरीक्षित प्ररूप आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित कोई फेरफार ऐसे निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है तो ऐसा पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश ऐसे निर्धारिती को अग्रेषित करेगा;

(आ) किसी अन्य दशा में पुनरीक्षित निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश और सूचना की प्रति की तामील, निर्धारिती पर शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, आरंभ करने के लिए, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिति द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य किसी रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ करेगा;

(ख) यदि पुनरीक्षित प्ररूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार, प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित के प्रतिकूल है तो निर्धारिती को उस पर यह कारण बताने की अपेक्षा करते हुए कि प्रस्तावित फेरफार क्यों नहीं किए जाने चाहिए, सूचना की तामील करके अवसर प्रदान;

(xxvi) खंड (xxiii), खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया यथाआवश्यक परिवर्तन सहित खंड (xxv) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना को लागू होगी;

(xxvii) जहां प्ररूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्ररूप निर्धारण आदेश या पुनरिक्षित निर्धारण आदेश खंड (xxiii) के उपखंड (क) की मद (अ) या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद (अ) के अनुसार पात्र निर्धारिती को अग्रेषित किया जाता है, वहां ऐसा निर्धारिती अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को फेरफार की अपनी स्वीकृति फाइल करेगा;

(xxviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र,--

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति प्राप्त होने पर; या

(ख) यदि अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर पात्र निर्धारिती से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होते हैं,

अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर ऐसे निर्धारण के आधार पर ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको प्रतिदेय कोई रकम को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ शास्ति कार्यवाही, यदि कोई हो, आरंभ करने की सूचना और ऐसे आदेश की प्रति की तामील करेगा;

(xxix) जहां पात्र निर्धारिती विवाद समाधान पैनल को अपने आक्षेप फाइल करता है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के प्राप्त होने पर ऐसे निदेशों को संबद्ध निर्धारण इकाई को अग्रेषित करेगा;

(xxx) निर्धारण इकाई, अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों के अनुरूप अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार एक प्ररूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र को भेजेगा;

(xxxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्ररूप निर्धारण आदेश के प्राप्त होने पर, अधिनियम की धारा 144 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और निर्धारिती पर, ऐसे आदेश के आधार पर निर्धारिती द्वारा संदेय धनराशि या उसको शोध्य प्रतिदेय की कोई रकम विनिर्दिष्ट करते हुए मांग सूचना के साथ ऐसे आदेश की प्रति और शास्ति कार्यवाहियां, यदि कोई हो, प्रारंभ करने की सूचना की तामील करेगा;

(xxxii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केन्द्र, निर्धारण पूरा होने के पश्चात् मामले का सभी इलैक्ट्रानिक अभिलेख, ऐसी कार्रवाई के लिए, जो अधिनियम के अधीन अपेक्षित हो, उक्त मामले पर अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को अंतरित करेगा।"

(3) उक्त स्कीम के पैरा 11 के उपपैरा (2) में,--

(i) पहली पंक्ति में "उपांतरण" शब्द के स्थान पर "फेरफार" शब्द रखा जाएगा;

(ii) पहली और दूसरी पंक्ति में "प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्दों के स्थान पर "या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्द रखे जाएंगे।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में उसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

[अधिसूचना सं. 6/2021/फा.सं.370149/154/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ.3264(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 741(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3A) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following further amendments in the Faceless Assessment Scheme, 2019, namely: —

1. **Short title and commencement**.—(1) The Scheme may be called the Faceless Assessment (1st Amendment) Scheme, 2021.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Faceless Assessment Scheme, 2019 (hereinafter referred to as the said Scheme), in sub-paragraph (1) of paragraph 2, —

(i) in clause (x) for the words "e-mail account", the words "registered e-mail account" shall be substituted;

(ii) afterclause (xii), the following clause shall be inserted, namely:—

'(xiia) "Dispute Resolution Panel" shall have the same meaning as assigned to in clause (a) of sub-section (15) of section 144C of the Act;'

(iii) after clause (xv), the following clause shall be inserted, namely: —

'(xva) "eligible assessee" shall have the same meaning as assigned to in clause (b) of sub-section (15) of section 144C of the Act;'

(iv) in clause (xxiv), for the words "video telephony", the words "video conferencing or video telephony" shall be substituted.

(2) In the said Scheme,forsub-paragraph (1) of paragraph 5, the following sub-paragraph shall be substituted, namely,—

"(1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—

(i) theNational e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143 of the Act;

(ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in clause (i), file his response to the National e-Assessment Centre;

(iii) where the assessee –

(a) has furnished his return of income under section 139 of the Actor in response to a notice issued under sub-section (1) of 142 of the Actor sub-section (1) of section 148of the Act, and a notice under sub-section (2) of section 143 of the Acthas been issued by the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may be; or

(b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-section (1) of section 142 of the Actby the Assessing Officer; or

(c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 of the Actand a notice under sub-section (1) of section 142 of the Acthas been issued by the Assessing Officer,

The National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case shall be completed under this Scheme.

(iv) the National e-Assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-Assessment Centre for –

(a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;

(b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and

(c) seeking technical assistance from the technical unit;

(vi) where a request for obtaining further information, document or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-Assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to such assessee or person, specifying a time therein, for submittingsuch information, documents or evidence;

(vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice referred to in clause (vi), within the time specified therein or such extended time as may be allowed on the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;

(viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-Assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-Assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(x) the National e-Assessment Centre shall send the report received from the verification unit or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned assessment unit;

(xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice issued under sub-section (1), or with a direction issued under sub-section (2A), of section 142 of the Act, the National e-Assessment Centre shall serve upon such assessee a notice under section 144 of the Act giving him an opportunity to show-cause, on a date and time to be specified in the notice, why the assessment in his case should not be completed to the best of its judgment;

(xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or such time as may be extended on the basis of an application in this behalf, file his response to the National e-Assessment Centre;

(xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the time specified therein or within the extended time, if any, the National e-Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;

(xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft assessment order to the best of its judgment, either accepting the income or sum payable by, or sum refundable to, the assessee as per his return or making variation to such income or sum, and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;

(xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;

(xvi) the National e-Assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to –

(a) finalise the assessment, in case no variation prejudicial to the interest of assessee is proposed, as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or

(b) provide an opportunity to the assessee, in case any variation prejudicial to the interest of assessee is proposed, by serving a notice calling upon him to show cause as to why the proposed variation should not be made; or

(c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-Assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;

(xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-Assessment Centre, whereupon it may decide to–

(a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-Assessment Centre about such concurrence; or

(b) suggest such variation, as it may deem fit, in the draft assessment order and send its suggestions to the National e-Assessment Centre;

(xviii) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;

(xix) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving suggestions for variation from the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which has prepared the draft assessment order, through an automated allocation system;

(xx) the assessment unit shall, after considering the variations suggested by the review unit, send the final draft assessment order to the National e-Assessment Centre;

(xxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;

(xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice has been served upon him as per the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi), furnish his response to the National e-Assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within such time as may be extended on the basis of an application in this behalf;

(xxiii) theNational e-Assessment Centre shall, -

(a) where no response to the show-cause noticeas per clause (xxii) is received,—

(A) in a case where the draft assessment order or the final draft assessment order is in respect of an eligible assessee and proposes to make any variation which is prejudicial to the interest of such assessee, forward the draft assessment order or final draft assessment order to such assessee; or

(B) in any other case, finalise the assessment as per the draft assessment order or the final draft assessment order and serve a copy of such order and notice for

initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(b) in any other case, send the response furnished by the assessee to the assessment unit;

(xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, as referred to in sub-clause (b) of clause (xxiii), make a revised draft assessment order and send it to the National e-Assessment Centre;

(xxv) The National e-Assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order, -

(a) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are not prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order or the final draft assessment order, and –

(A) in case the revised draft assessment order is in respect of an eligible assessee and there is any variation prejudicial to the interest of such assessee proposed in draft assessment order or the final draft assessment order, forward such revised draft assessment order to such assessee;

(B) in any other case, finalise the assessment as per the revised draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(b) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order or the final draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving a notice calling upon him to show-cause as to why the proposed variation should not be made;

(xxvi) The procedure laid down in clauses (xxiii), (xxiv) and (xxv) shall apply *mutatis mutandis* to the notice referred to in sub-clause (b) of clause (xxv);

(xxvii) where the draft assessment order or final draft assessment order or revised draft assessment order is forwarded to the eligible assessee as per item A of sub-clause (a) of clause (xxiii) or item A of sub-clause (a) of clause (xxv), such assessee shall, within the period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act, file his acceptance of the variations to the National e-Assessment Centre;

(xxviii) theNational e-Assessment Centre shall, -

(a) uponreceipt of acceptance as per clause (xxvii); or

(b) if no objections are received from the eligible assessee within the period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act,

finalise the assessment within the time allowed under sub-section (4) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(xxix) where the eligible assessee files his objections with the Dispute Resolution Panel, the National e-Assessment Centre shall upon receipt of the directions issued by the Dispute Resolution Panel under sub-section (5) of section 144C of the Act, forward such directions to the concerned assessment unit;

(xxx) the assessment unit shall in conformity of the directions issued by the Dispute Resolution panel under sub-section (5) of section 144C of the Act prepare a draft assessment order in accordance with sub-section (13) of section 144C of the Act and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;

(xxxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receipt of draft assessment order referred to in clause (xxx), finalise the assessment within the time allowed under sub-section (13) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(xxxii) The National e-Assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act."

(3) In the said Scheme,in sub-paragraph (2) of paragraph (11),—

(i) in the first line, for the word "modification", the word "variation" shall be substituted;

(ii) in the first and third line, for the words "draft assessment order", the words " or final draft assessment order or revised draft assessment order" shall be substituted.

[Notification No. 6/2021/F. No. 370149/154/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.

Note : The principal Scheme was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 3264(E), dated the 12th September, 2019.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 742(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(1) खंड (1) में,-

(i) मद क के पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) इस स्कीम के अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा ;

(iii) जहां निर्धारिती ने--

(क) अधिनियम की धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत की है ; और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है ;

राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को संसूचित करेगा किइस स्कीम के अधीन उसके मामले में निर्धारण पूरा किया जाएगा ;

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को किसी स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;

(v) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अनुरोध कर सकेगा,--

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना, जो यह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करना ; और

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;

(vi) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा ;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना के संबंध में अपना प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र मेंराष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सत्यापन के लिए समनुदेशित किया जाएगा ;

(ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा किसी तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र सत्यापन यूनिट या तकनीकी यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित, प्राप्त रिपोर्ट को संबद्ध निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xi) जहां निर्धारिती, खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसे निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 144 के अधीन, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देते हुए सूचना की तामील करेगा कि उस मामले में अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण क्यों ने पूरा किया जाना चाहिए ;

(xii) निर्धारिती, खंड (xi) में विनिर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को प्रस्तुत करेगा ;

(xiii) जहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण यूनिट को ऐसी असफलता की संसूचना देगा ;

(xiv) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में एक प्रारूप निर्धारण आदेश देगी या ऐसी दशा में, जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से प्राप्त होती है, अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार या तो आय या उसके द्वारा संदेय राशि या उसको प्रतिदेय राशि को उसके विवरणी के अनुसार स्वीकार करते हुए या ऐसी आय या राशि में फेरफार करते हुए लिखित में एक प्रारूप आदेश देगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xv) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते हुए उसके द्वारा आरंभ की गई शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा, जिसके अंतर्गत एक स्वचालित जांच उपकरण सम्मिलित है, तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है, और ऐसे आदेश तथा शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, की एक प्रति की तामील निर्धारिती को, मांग नोटिस के साथ-साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धरिती द्वारा संदेय राशि या उसे किसी शोध्य रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारण को अंतिम रूप देने ; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है उसे कारण बताओ सूचना की तामील करते हुए कि क्यों न प्रस्तावित फेरफार किया जाए, निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करने ; या

(ग) किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में किसी पुनर्विलोकन यूनिट के लिए प्रारूप निर्धारण आदेश को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए समनुदेशित करने,

का विनिश्चय कर सकेगा ;

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट, उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी, तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को संसूचित करने ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में, ऐसे फेरफार का सुझाव देने, जो वह उचित समझे और सुझावों को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र भेजने,

का विनिश्चय करेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन यूनिट से फेरफार के लिए सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण यूनिट , जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार किया है, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण यूनिट को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेशित करेगा ;

(xx) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए फेरफार पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) केउपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xxii) निर्धारिती, उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन उस पर तामील की गई है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय को या उससे पूर्व या इस निमित्त आवेदन के आधार पर, ऐसे समय के भीतर, जो विस्तारित किया जा सके, प्रत्युत्तर दे सकेगा ;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,--

(क) उस दशा में, जहां खंड (xxii)के अनुसार हेतुक उपदर्शित करने की सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है,--

(अ) ऐसे मामले में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और जो कोई फेरफार करने का प्रस्तावकरता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, ऐसे निर्धारिती को प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा ; या

(आ) किसी अन्य मामले में, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है, और ऐसे आदेश तथा शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, की एक प्रति की तामील निर्धारिती को, मांग नोटिस के साथ-साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धरिती द्वारा संदेय राशि या उसे किसी शोध्य रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारिती द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxiv) निर्धारण यूनिट, खंड (xxiii) के उपखंड (ख) में यथा-निर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,--

(क) पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार की दशा में, जो प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं हैं, और-

(अ) किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश की दशा मेंऔर प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित ऐसे निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार है तो ऐसे पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश को ऐसे निर्धारिती के पास भेजेगा ;

(आ) अन्य मामले में, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती ऐसे संदाय को या किसी शोध्य रकम के प्रतिसंदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग नोटिस के साथ निर्धारिती पर शास्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, यदि कोई हो, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(ख) पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार की दशा में, प्रारूप प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव डालने वाला है तो निर्धारिती को हेतुक उपदर्शित करने के लिए कोई सूचना तामील करते हुए कि क्यों न प्रस्तावित फेरफार किया जाए, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ;

(xxvi) खंड (xxiii),खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया, खंड (xxv) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ;

(xxvii) जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश खंड (xxiii) के उपखंड (क) की मद संख्या क या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद संख्या क के अनुसार पात्र निर्धारिती को भेजा जाता है, ऐसा निर्धारिती अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी फेरफार की स्वीकृति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(xxviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,-

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति की प्राप्ति पर ; या

(ख) यदि कोई आक्षेप अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त निर्धारिती से पात्र नहीं होता है,

तो वह अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश की प्रति और शास्ति प्रक्रिया को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(xxix) जहां पात्र निर्धारिती अपना आक्षेप विवाद समाधान पैनल को फाइल करता है, तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर ऐसे निदेशों को संबद्ध निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxx) निर्धारण यूनिट, अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की अनुरूपता में अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगा ;

(xxxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर अधिनियम की धारा 144ग कीउपधारा (13) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और शास्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, यदि कोई हो, ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(xxxii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन यथापेक्षित ऐसे क्रियाकलाप के लिए उक्त मामले में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामले के सभी इलेक्ट्रानिक अभिलेख अंतरित करेगा।"

(2) मद ख के उपपैरा (2) की,-

(i) पहली पंक्ति में, "उपांतरण" शब्द के स्थान पर "फेरफार" शब्द रखा जाएगा ; और

(ii) पहली और दूसरी पंक्ति में, "प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्दों के पश्चात् "या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

(अधिसूचना सं. 7 /2021/फा. सं. 370149/154/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2021

S.O. 742(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3B) of section 143 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), Central Board of Direct Taxes, published in the Gazette of India, Extraordinary, *vide*number S.O 3265 (E), dated the 12th September, 2019,namely: —

1. In the said notification, —

(1) in clause 1, —

(i) for sub-paragraph (1) of item A, the following sub-paragraph shall be substituted, namely:—

"(1) The assessment under this Scheme shall be made as per the following procedure, namely:—

(i) the National e-Assessment Centre shall serve a notice on the assessee under sub-section (2) of section 143 of the Act;

(ii) the assessee may, within fifteen days from the date of receipt of notice referred to in clause (i), file his response to the National e-Assessment Centre;

(iii) where the assessee –

(a) has furnished his return of income under section 139 of the Act or in response to a notice issued under sub-section (1) of 142 of the Act or sub-section (1) of section 148of the Act, and a notice under sub-section (2) of section 143 of the Act has been issued by the Assessing Officer or the prescribed income-tax authority, as the case may be; or

(b) has not furnished his return of income in response to a notice issued under sub-section (1) of section 142 of the Act by the Assessing Officer; or

(c) has not furnished his return of income under sub-section (1) of section 148 of the Act and a notice under sub-section (1) of section 142 of the Act has been issued by the Assessing Officer,

the National e-Assessment Centre shall intimate the assessee that assessment in his case shall be completed under this Scheme.

(iv) the National e-Assessment Centre shall assign the case selected for the purposes of e-assessment under this Scheme to a specific assessment unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(v) where a case is assigned to the assessment unit, it may make a request to the National e-Assessment Centre for –

(a) obtaining such further information, documents or evidence from the assessee or any other person, as it may specify;

(b) conducting of certain enquiry or verification by verification unit; and

(c) seeking technical assistance from the technical unit;

(vi) where a request for obtaining further information, documents or evidence from the assessee or any other person has been made by the assessment unit, the National e-assessment Centre shall issue appropriate notice or requisition to the assessee or any other person for obtaining the information, documents or evidence requisitioned by the assessment unit;

(vii) the assessee or any other person, as the case may be, shall file his response to the notice referred to in clause (vi), within the time specified therein or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, to the National e-Assessment Centre;

(viii) where a request for conducting of certain enquiry or verification by the verification unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-

Assessment Centre to a verification unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(ix) where a request for seeking technical assistance from the technical unit has been made by the assessment unit, the request shall be assigned by the National e-Assessment Centre to a technical unit in any one Regional e-Assessment Centre through an automated allocation system;

(x) the National e-Assessment Centre shall send the report received from the verification unit or the technical unit, based on the request referred to in clause (viii) or (ix) to the concerned assessment unit;

(xi) where the assessee fails to comply with the notice referred to in clause (vi) or notice issued under sub-section (1) of section 142 of the Act, or with a direction issued under sub-section (2A) of section 142 of the Act, the National e-Assessment Centre shall serve upon such assessee a notice under section 144 of the Act giving him an opportunity to show-cause, on a date and time to be specified in the notice, why the assessment in his case should not be completed to the best of its judgment;

(xii) the assessee shall, within the time specified in the notice referred to in clause (xi) or such time as may be extended on the basis of an application in this regard, file his response to the National e-Assessment Centre;

(xiii) where the assessee fails to file response to the notice referred to in clause (xi) within the time specified in the notice or within the extended time, if any, the National e-Assessment Centre shall intimate such failure to the assessment unit;

(xiv) the assessment unit shall, after taking into account all the relevant material available on the record make in writing, a draft assessment order or, in a case where intimation referred to in clause (xiii) is received from the National e-Assessment Centre, make in writing, a draft assessment order to the best of its judgment, either accepting the income or sum payable by, or sum refundable to, the assessee as per his return or making variation to such income or sum, and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;

(xv) the assessment unit shall, while making draft assessment order, provide details of the penalty proceedings to be initiated therein, if any;

(xvi) the National e-Assessment Centre shall examine the draft assessment order in accordance with the risk management strategy specified by the Board, including by way of an automated examination tool, whereupon it may decide to –

(a) finalise the assessment, in case no variation prejudicial to the interest of assessee is proposed, as per the draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment; or

(b) provide an opportunity to the assessee, in case any variation prejudicial to the interest of assessee is proposed, by serving a notice calling upon him to show-cause as to why the proposed variation should not be made; or

(c) assign the draft assessment order to a review unit in any one Regional e-Assessment Centre, through an automated allocation system, for conducting review of such order;

(xvii) the review unit shall conduct review of the draft assessment order, referred to it by the National e-Assessment Centre, whereupon it may decide to–

(a) concur with the draft assessment order and intimate the National e-Assessment Centre about such concurrence; or

(b) suggest such variation, as it may deem fit, in the draft assessment order and send its suggestions to the National e-Assessment Centre;

(xviii) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving concurrence of the review unit, follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;

(xix) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving suggestions for variation from the review unit, assign the case to an assessment unit, other than the assessment unit which has prepared the draft assessment order, through an automated allocation system;

(xx) the assessment unit shall, after considering the variations suggested by the review unit, send the final draft assessment order to the National e-Assessment Centre;

(xxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receiving final draft assessment order,follow the procedure laid down in sub-clause (a) or sub-clause (b) of clause (xvi), as the case may be;

(xxii) the assessee may, in a case where show-cause notice has been served upon him as per the procedure laid down in sub-clause (b) of clause (xvi), furnish his response to the National e-Assessment Centre on or before the date and time specified in the notice or within such time as may be extended on the basis of an application in this behalf;

(xxiii) the National e-Assessment Centre shall, -

(a) where no response to the show-cause noticeas per clause (xxii) is received,—

(A) in a case where the draft assessment order or the final draft assessment order is in respect of an eligible assessee and proposes to make any variation which is prejudicial to the interest of such assessee, forward the draft assessment order or final draft assessment order to such assessee; or

(B) in any other case, finalise the assessment as per the draft assessment order or the final draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(b) in any other case, send the response furnished by the assessee to the assessment unit;

(xxiv) the assessment unit shall, after taking into account the response furnished by the assessee, as referred to in sub-clause (b) of clause (xxiii), make a revised draft assessment order and send it to the National e-Assessment Centre;

(xxv) The National e-Assessment Centre shall, upon receiving the revised draft assessment order, -

(a) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are not prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order or the final draft assessment order, and –

(A) in case the revised draft assessment order is in respect of an eligible assessee and there is any variation prejudicial to the interest of such assessee proposed in draft assessment order or the final draft assessment order, forward such revised draft assessment order to such assessee;

(B) in any other case, finalise the assessment as per the revised draft assessment order and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(b) in case the variations proposed in the revised draft assessment order are prejudicial to the interest of the assessee in comparison to the draft assessment order or the final draft assessment order, provide an opportunity to the assessee, by serving a notice calling upon him to show-cause as to why the proposed variation should not be made;

(xxvi) The procedure laid down in clauses (xxiii), (xxiv) and (xxv) shall apply *mutatis mutandis* to the notice referred to in sub-clause (b) of clause (xxv);

(xxvii) where the draft assessment order or final draft assessment order or revised draft assessment order is forwarded to the eligible assessee as per item A of sub-clause (a) of clause (xxiii) or item A of sub-clause (a) of clause (xxv), such assessee shall, within the period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act, file his acceptance of the variations to the National e-Assessment Centre;

(xxviii) the National e-Assessment Centre shall, -

(a) uponreceipt of acceptance as per clause (xxvii); or

(b) if no objections are received from the eligible assessee within the period specified in sub-section (2) of section 144C of the Act,

finalise the assessment within the time allowed under sub-section (4) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, to the assessee, alongwith the demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(xxix) where the eligible assessee files his objections with the Dispute Resolution Panel, the National e-Assessment Centre shall upon receipt of the directions issued by the Dispute Resolution Panel under sub-section (5) of section 144C of the Act, forward such directions to the concerned assessment unit;

(xxx) the assessment unit shall in conformity of the directions issued by the Dispute Resolution panel under sub-section (5) of section 144C of the Act prepare a draft assessment order in accordance with sub-section (13) of section 144C of the Act and send a copy of such order to the National e-Assessment Centre;

(xxxi) the National e-Assessment Centre shall, upon receipt of draft assessment order referred to in clause (xxx), finalise the assessment within the time allowed under sub-section (13) of section 144C of the Act and serve a copy of such order and notice for initiating penalty proceedings, if any, upon the assessee, alongwiththe demand notice, specifying the sum payable by, or refund of any amount due to, the assessee on the basis of such assessment;

(xxxii) The National e-Assessment Centre shall, after completion of assessment, transfer all the electronic records of the case to the Assessing Officer having jurisdiction over the said case for such action as may be required under the Act."

(2) in sub-paragraph (2) of item B, —

(i) in the first line for the word "modification", the word "variation" shall be substituted; and

(ii) in the first and third line after the words "draft assessment order", the words " or final draft assessment order or revised draft assessment order" shall be inserted.

2. This notification shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

[Notification No. 7/2021/F. No. 370149/154/2019-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O.3265 (E), dated the 12th September, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. KUMER CHAND MEENA Digitally signed by KUMER CHAND MEENA Date: 2021.02.17 22:55:38 +05'30'